कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला – सुकमा (छ0ग0)

//संशोधित विज्ञापन//

क्रमांक/ 195 /निर्वा./स्था./2015 सुकमा दिनांक 28/ 11 /2015

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक 27/स्था./2014/14078/दिनांक 04.12.2014 एवं पत्र क्रमांक 122/स्था./2015/716 दिनांक 19.03.2015 के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आदेश प्राप्त है। जिस पर कार्यवाही करते हुए कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, के पत्र क्रमांक/59/स्था./जि.नि.शा./भर्ती 2015 सुकमा दिनांक 23.06.2015 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें सहायक प्रोग्रामर एवं सहायक ग्रेड-03 के पद हेतु विज्ञापन में लेखन त्रुटि होने के कारण संशोधित विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। अतः कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के लिए स्वीकृत पदों की भर्ती कार्यवाही सीधी भर्ती के माध्यम से किया जावेगा। अतः निम्नांकित तालिका में दर्शाए विवरण अनुसार इच्छुक उम्मीदवारो से पंजीकृत डाक अथवा स्वंय उपस्थित होकर **दिनांक** 14/12/15 **अपरान्ह 5.30 बजे** तक आवेदन आंमत्रित किये जाते है। भर्ती के लिए रिक्त पदों का संवर्गवार आरक्षण इस प्रकार है :-

जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या एवं प्रकार	आरक्षणवार पदों का विवरण				योग
			अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	सहायक प्रोग्रामर	01 (स्थाई)	01	-	-	-	01
2	सहायक वर्ग-03	02 (संविदा)	-	02	-	-	02
3	भृत्य	02 (संविदा)	-	02	-	-	02

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय हेतु

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या एवं प्रकार	आरक्षणवार पदों का विवरण				योग
			अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	01 (संविदा 06 माह)	01	-	-	-	01

पदों की पूर्ति हेतु नियम एवं अन्य शर्ते इस प्रकार से है :-

1. पदों का वेतनमान :-

(अ) सहायक प्रोग्रामर वेतनमान - 9300-34800+4300 वेतन

(ब) सहायक वर्ग-03 - 10612.00 (एक मुश्त)

(स) डाटा एण्ट्री ऑपरेटर - 13776.00 (एक मुश्त)

(द) भृत्य - 8470.00 (एक मुश्त)

2. **पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं :-**

(अ) **सहायक प्रोग्रामर हेतु न्युनतम शैक्षणिक अर्हताए :-** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्युटर सांइस/आई.टी. विषय में बी.ई./बी.टेक./एम.सी.ए. कम से कम 60% अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उक्त शैक्षणिक अर्हताओं के पश्चात दो वर्ष का कम्प्युटर प्रोग्रामिंग में अनुभव होना अनिवार्य है।

(ब) **सहायक वर्ग-03 हेतु न्युनतम शैक्षणिक अर्हताए :-**

1. मान्यता प्राप्त मंडल/वि.वि. से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रि-वर्षीय डिप्लोमा।
2. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से DCA अथवा PGDCA की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग मे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्टी ऑपरेटर की गति (5000 की (Key)) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)

(स) **डाटा एण्ट्री ऑपरेटर हेतु न्युनतम शैक्षणिक अर्हताए :-**

1. मान्यता प्राप्त मंडल/वि.वि. से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रि-वर्षीय डिप्लोमा।
2. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से DCA अथवा PGDCA की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग मे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्टी ऑपरेटर की गति (8000 की (Key)) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)

(द) **भृत्य हेतु न्युनतम शैक्षणिक अर्हताए :-**

1.न्युनतम 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

3. **निर्धारित आयु सीमा :-** उपरोक्त सभी संवर्गीय पदों के लिए अभ्यार्थी की आयु दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् छूट की पात्रता होगी।

4. **सुकमा जिला** संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों स्थानीय निवासी से भरे जाने का निर्देश है। अतः उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदक **सुकमा** जिले का **मूल निवासी** होना अनिवार्य है।

5. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

6. विज्ञापन जारी दिनांक से पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र जमा नही किया जा सकता।

7. आवेदन पंजीकृत डाक अथवा स्वंय उपस्थित होकर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किये जाएगें।

8. आवेदक विज्ञप्ति में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जाँच स्वंय सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नही होगा कि आवेदक को चयनित मान लिया गया है, तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अपात्र पाये जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

9. प्रशासनिक कारणों से उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की संख्या में वर्गवार कमी/वृद्धि अथवा निरस्त परिस्थिति अनुसार की जा सकेगी, शासन की भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो विज्ञप्ति में लागू होगा।

10. चयनित अभ्यर्थी यदि शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत है उन्हें नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. निर्धारित संख्या में अर्हताधारी अभ्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जायेगी।

12. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु 8वीं अथवा हॉई स्कूल (10वीं) प्रमाण पत्र/अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा जिन उम्मीदवारों द्वारा छान-बीन समिति से जाति सत्यापन नही करवाया गया है उन्हे नियुक्ति उपरांत 03 माह का समय छान-बीन समिति से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन करवाने का समय दिया जावेगा।

14. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति निरस्त की जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

15. छ0ग0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

16. भर्ती नियम के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी अर्थात् कलेक्टर, जिला - सुकमा सह चयन समिति को होगा।

17. कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक संतान है जिसमें से 01 का जन्म जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, साथ ही छ.ग. सिविल (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में नियुक्ति के लिए अनर्हताएं लागु होगीं।

18. **उपरोक्त सभी पदों पर हेतु आरक्षित वर्ग महिला विकलांग एवं भुतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। आरक्षण रोस्टर अनुसार आरक्षित वर्ग महिला विकलांग एवं भुतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी प्राप्त होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरें जा सकेंगें।**

19. अपूर्ण, अस्पष्ट, एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पाये जाने की स्थिति में आवेदक की पात्रता/अपात्रता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन का अवलोकन कर सर्तकता एवं सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र भरें।

20. प्रतिक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

21. सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति/आवेदन का प्रारूप जिले की वेबसाईट **WWW.SUKMA.GOV.IN** पर देख सकते है, तथा आवेदकों से अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्र में ही अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला पंचायत सुकमा जिला - सुकमा (छ0ग0) के पते पर भेजें।

आवेदन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश :-

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचीयों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित प्रस्तुत किये जा सकेगें। आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों का अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे एवं पृष्ट क्रमांक भी डाले। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम से ही व्यवस्थित कर (1. आवेदन पत्र, 2. निवास प्रमाण पत्र, 3. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 4. जाति प्रमाण पत्र, 5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, 6. अनुभव प्रमाण पत्र, 8. लिफाफा) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **दिनांक 14 .12.2015 तक अपरान्ह 5.00 बजे** तक स्वंय उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा पता **कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा जिला - सुकमा पिन कोड 494111** को भेजे जा सकते है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नही किये जावेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला पंचायत सुकमा के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी, तथा जिले की वेबसाईट **WWW.SUKMA.GOV.IN** पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कलेक्टर,
एंव जिला निवार्चन अधिकारी - सुकमा
जिला - सुकमा (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/ 195 'A'/निर्व/स्था./भर्ती/2015 **सुकमा दिनांक 28/11/2015**

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, शास्त्री चौक पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर, जिला - बस्तर को सूचनार्थ।

3. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला सुकमा के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी, सुकमा को सूचनार्थ, जिला सुकमा के वेबसाइट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
एवं जिला निवार्चन अधिकारी – सुकमा
जिला – सुकमा (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें

पद क्रमांक	:–
आवेदित पद का नाम	:–
वर्ग (जाति)	:–
लिंग	:–

नवीनतम पासपोर्ट फोटो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित

प्रति,

कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी,

जिला सुकमा (छ.ग.)

संदर्भ :– आपके विज्ञापन क्रमांक ....दिनांक..

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :–..
2. पिता /पति का नाम :–..

3. अ. जन्मतिथि अंको में :–..

   ब. शब्दो में :–..

4. दिनांक 01/11/2015 को आयु :–वर्ष..................माह......................................दिन..
5. जन्म स्थान :–ग्राम/नगर......................................तहसील..
6. अ. पत्र व्यवहार का पूरा पता :–..

   ....

   ....

   ....पिन नं..

   ब. स्थायी पता :–..

   ....

   ....

   ....पिन ....

   मोबाईल नम्बर ....

7. रोजगार कार्यालय का नाम एंव जीवित :–..
   पंजीयन क्रमांक एंव दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8. क्या अधिकतम आयु सीमा छूट चाहते हैं?:–..

   यदि हां तो किस श्रेणी से उल्लेख करें,

9. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है?:–..

   (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. क्या आवेदक छ.ग.शासन द्वारा छ.ग. :–..

    राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हैं? हां /नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. क्या आवेदक विकलांग है? हां /नहीं :–..

12. विकलांग का प्राकार एंव प्रतिशत :—...

13. यदि हां/नहीं(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण प्रत्र सत्यापित छाया प्रति सलग्न करें)

14. क्या आवेदक विवाहित है? हां/नहीं :—...

15. जीवित बच्चों की संख्या :—...

16. शैक्षणिक एंव तकनीकी योग्यता

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत

17. क्या आवेदक शासकीय /अर्ध्दशासकीय :—...

संस्थान में सेवारत है? हां /नहीं (यदि हां सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण :—...

यदि हो तो अनुभव का विवरण :—...

18. क्या आवेदक /आवेदिका के विरूध्द कोई दंडित :—.. प्रकरण किसी पुलिस थाने /न्यायालय में अनुसंधान /विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां तो संबंधित अधिनियम एंव धारा सहित प्रकरण क्रमांक एंव निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1.. 2..

3.. 4..

5.. 6..

7.. 8..

9.. 10..

11.. 12..

13.. 14..

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

<u>घोषण पत्र</u>

मै एतद द्वारा धोषण करता/करती हूँ कि इस दिये गये समस्त विवरण एंव संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक...................... आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान........................ आवेदक का नाम